



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. PC/1/2019/STGMH/ATRAPE/RU-IV

Dated: 17.05.2019

To

- | | |
|---|---|
| 1. The Chief Secretary,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32. | 2. The Additional Chief Secretary,
Home Department,
Government of Maharashtra,
Mumbai |
| 3. The Principal Secretary,
Tribal Welfare Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32. | 4. The Director General of Police,
Maharashtra,
Mumbai. |
| 5. The District Collector,
Chandrapur District,
Maharashtra. | |


Sub: Press clipping appeared in Lokmat News Network (Marathi Edition) dated 16.04.2019 regarding rape in tribal hostel at Chandrapur District, Maharashtra.

Sir/Madam,

I am directed to enclose copy of Tour Report and recommendations of the NCST in the matter of on-spot Inquiry into incident of rape of Scheduled Tribe girls in tribal hostel at Tehsil – Rajura, District –Chandrapur, Maharashtra undertaken by Smt. Maya Chintamani Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 02.05.2019 for necessary action.

It is requested that action taken report on the Commission's recommendations in the case may be sent to the Commission within 15 days from receipt of this letter for placing before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully,


(Y.K. Bansal)
Research Officer
Ph. 24645826

Copy to: - SAS, NIC, NC ST.

- ❖ बच्चों के भोजन पकाने हेतु रसोई जैसी कोई जगह नहीं है। रसोई बनाने के लिए खले में एक शेड डालकर छोड़ दिया गया है। भोजन खाने के लिए डायनिंग हॉल का कमरा बहुत ही छोटा है, जिसमें खानपान की सामग्री रखने का स्टोर रूम जैसा बना है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि अधिकतर बच्चे गैलरी की जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे।
- ❖ अधीक्षक, छबन पांडुरंग पाचरे का कमरा इस भवन के निकट ही बना है। जिसका मुख्य दरवाजा तो पुलिस द्वारा सील किया हुआ था। आयोग को वहां पर यह बताया गया कि अधीक्षक के घर का एक दरवाजा सीधा हॉस्टल के भवन में खुलता है, जिससे उसका हॉस्टल में तथा बालिकाओं का उसके कमरे में रात्रि के समय आना-जाना किसी को ज्ञात नहीं होता था।
- ❖ आयोग को यह भी बताया गया कि अधीक्षक के कमरे से तथा कमरे के बाहर से गर्भ निरोधक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं।
- ❖ हॉस्टल में सिक रूम नहीं था, आवासीय बच्चों का समय – समय पर होने वाली चिकित्सीय जाँच नहीं होती थी।
- ❖ हॉस्टल में सी.सी.टी.वी. कैमरा केवल बालकों के कमरों के बाहर लगा था। बालिकाओं के कमरों के बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं लगे थे। पूछताछ पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई की सी.सी.टी.वी. कैमरा की रिकार्डिंग केवल दिन में ही की जाती थी, रात में सी.सी.टी.वी. कैमरा बंद कर दिये जाते थे।
- ❖ बालिकाओं के छात्रावास में नियमानुसार महिला अधीक्षिका की नियुक्ति आवश्यक है। जबकि उक्त छात्रावास में पुरुष अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक नियुक्त थे।
- ❖ आयोग के जाँच दल ने इन्फैट जीजस इंगिलिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्दपुर के प्रधानाचार्य श्री रफीक अन्सारी से भी पूछताछ की। वे विगत 14 वर्ष से प्राचार्य हैं विद्यालय में वे कक्षा 9 व 10 वीं को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। आयोग द्वारा उनसे यह पूछा गया कि स्कूल की पेरेन्ट मीटिंग में हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों के अभिभावक आते थे ? तो उन्होंने बताया कि पेरेन्ट मीटिंग नहीं होती थी।
- ❖ स्कूल की कुछ अध्यापिकाओं से भी चर्चा हुई। सभी अध्यापिकाओं ने यह बताया कि उन्हे इस घटना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। लोकल न्यूज तथा समाचार पत्रों से ही उन्हे यह ज्ञात हुआ।

पीडिताओं के अभिभावकों से प्राप्त जानकारी :-

जाँच दल द्वारा तीन पीडिताओं के अभिभावकों से घटना के सम्बंध में जानकारी ली गई।

(अ) श्रीमती मनीषा देवाकर गेडाम (जाति गोंड) पति श्री देवाकर गेडाम, रहवासी ग्राम मुरती, तहसील राजुरा, जिला चन्द्रपुर की बेटी अनुष्ठा, उम्र 9 वर्ष कक्षा 3 में, इन्फैंट जीजस इंगिलश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर में विगत तीन वर्षों से अध्ययनरत थी। श्री देवाकर गेडाम की कुल तीन संतान हैं जिसमें दो पुत्रियां एवं एक पुत्र हैं। परिवार का भरणपोषण श्री देवाकर एवं उनकी पत्नी श्रीमती मनीषा के द्वारा मजदूरी करके होता है। परिवार में तीन एकड़ भूमि है जो उनके पिता के नाम पर है। पीडिता अनुष्ठा की माँ श्रीमती मनीषा ने बताया कि उनकी बेटी माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल में पिछले तीन वर्ष से रहती थी उनकी बेटी ने इस घटना के बारे में उन्हे पहले कुछ नहीं बताया था। जब अस्पताल में लड़कियों का मेडिकल किया गया तब उन्हे इस घटना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भविष्य में मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखकर ही पढ़ाऊंगी।

(ब) श्रीमती शिन्दू बाई शिरनाके (जाति गोंड) पति श्री बंदू शिरनाके, रहवासी ग्राम मुरती, तहसील राजुरा, जिला चन्द्रपुर की बेटी तृप्ती, उम्र 11 वर्ष, कक्षा 4 में इन्फैंट जीजस इंगिलश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर में विगत तीन वर्षों से अध्ययनरत थी। श्री बंदू शिरनाके की कुल तीन संतान हैं जिसमें एक लड़का व दो लड़कियां हैं। बेटा चेतन तथा बेटी तृप्ती इन्फैंट जीजस इंगिलश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर में पढ़ते हैं तथा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल में तीन वर्षों से रहते थे। दिनांक 06-04-2019 को स्कूल की ओर से उनकी पुत्री को राजुरा, के अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से चन्द्रपुर ले जाया गया। चन्द्रपुर से लौटने के पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा कि दिन भर क्यों सोती रहती हो, चेहरा क्यों सूजा हुआ है, बेटी कुछ नहीं बोली। डॉ. विवके मनोहर बांबोले द्वारा दी गई दवाईयों के असर के कारण वे रात व दिन सोती रहती थी। फिर जब मेडिकल कराया गया तब पता चला कि उका शारीरिक शोषण हुआ है। पीडिता की माँ ने यह भी बताया कि बोर्डिंग में जब लड़कियों के साथ यह गलत कार्य किया जाता था, तो उनके पेट में दर्द होने की शिकायत वार्डन को करने पर वार्डन द्वारा उन्हें पानी में ओ.आर. एस. जैसी कोई औषधी पिला दी जाती थी, जिससे उन्हे नींद आ जाती थी। यह पानी केवल लड़कियों को ही पिलाया जाता था।

(स) श्रीमती शीला चितरांगन कोवे (जाति प्रधान) पति श्री चितरांगन कोवे, रहवासी चन्द्रपुर की पुत्री गायत्री, उम्र 13 वर्ष, कक्षा 8 वीं में इन्फैंट जीजस इंगिलश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर में विगत आठ वर्षों से अध्ययनरत थी तथा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल में

रहती थी। उनका पुत्र गौरव चितरांगन कोवे भी उसी स्कूल में अध्ययनरत है। परिवार का भरणपोषण पिता चितरांगन कोवे द्वारा मजदूरी करने एवं माता शीला द्वारा घरों में खाना बनाने/बर्तन साफ करने आदि के कार्य करने से होता है। पीड़िता की माँ ने बताया कि जनवरी माह से अब तक मेरी पुत्री 4 बार बेसुध हो गई थी। जिसे हर बार डॉ. कटवारे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुझे मेरे बेटे द्वारा खबर मिली थी कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। मैंने अपनी सास को भेजा था एक बार मैं भी गई थी। मैं डॉक्टर से मिलना चाहती थी लेकिन मुझे डॉक्टर से बात नहीं करने दी गई। माह जनवरी में 6-7 लड़कियां बेसुध हो गई थीं, 6-7 घंटों तक लड़कियों को होश नहीं आया था। उन्हे आई.सी.यू. मे भी डाल दिया था, एक रात आई.सी.यू. मे ही रही थी, डिस्चार्ज करके जब मैं घर लेकर आई तो मुझे अधीक्षक ने पाचरे ने बताया गया कि डॉक्टर ने कहा है कि लड़किया भूत से डर गई हैं। दिनांक 14-04-2019 को चन्द्रपुर की लोकल टी.वी. न्यूज एवं समाचार पत्रों मे इन्फैट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर मे लड़कियों के साथ दुष्कर्म की खबर आने पर मुझे पता चला कि छात्राओं का मेडिकल हो रहा है। मुझे लगा कि मेरी बेटी भी कई बार बेसुध हुई है। कहीं ऐसा ही मेरी बेटी के साथ भी न हुआ हो इसलिए मैं भी अपनी बेटी को लेकर मेडिकल कराने पहुंची। तब ज्ञात हुआ कि वो भी अधीक्षक पाचरे और सहायक अधीक्षक लक्ष्मणराव विरुड्हकर के द्वारा शारीरिक रूप से कई बार शोषित हुई है। पीड़िता की माँ ने यह भी बताया कि पूर्व में किसी भी रविवार को बोर्डिंग स्कूल मे जाने पर बच्चों से मिलने दिया जाता था। पिछले दो साल से यह नियम बदल दिया गया था। केवल प्रथम सप्ताह के रविवार को ही बच्चों से मिलने दिया जाता था। यदि प्रथम सप्ताह के रविवार को नहीं मिल पाये तो अगले माह के प्रथम सप्ताह मे ही मिलने दिया जाता था। मैंने आदिवासी विभाग मे जाकर शिकायत भी की थी किन्तु किसी ने मेरी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि होस्टल बहुत ही गंदा रहता था, उसके टॉयलेट एवं बाथरूम भी बहुत गंदे रहते थे। उनकी बेटी एवं बेटे को इन्फेक्शन भी हो गया था। एक बार वे जब बोर्डिंग स्कूल गई थीं तो संचालक सुभाष धोटे राऊण्ड पर आया था मैंने उसको लेकर बैडरूम, बाथरूम दिखाया और गंदगी की शिकायत की थी। पीड़िता की माँ ने यह भी बताया कि बच्चों को डराया जाता था। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के समय मेरी बेटी के साथ यह घृणित कार्य किया गया था, तब भी वह बेहोश हो गई थी। मुझे अधीक्षक द्वारा फोन पर बताया गया कि आपकी बेटी पूर्णिमा पर बेहोश हो जाती है, इसे किसी तांत्रिक को दिखाओ और जादू टोना करवाओ।

Smt. Maya Chintamni Ivnate
 Member
 National Commission for Scheduled Tribes
 Govt. of India
 New Delhi

लड़कियों का मेडिकल विभाग/पुलिस द्वारा नहीं कराया गया। उनके विचार से सभी 129 लड़कियों का मेडिकल करवाया जाना चाहिए। उनके अनुसर 28 लड़किया मार्इनर ही हैं जबकि हॉस्टल में बड़ी आयु की लड़किया भी हैं। उनका मेडिकल भी अवश्य करवाना चाहिए।

- ❖ उन्होंने बताया कि लड़कियों से पूछताछ करना बहुत कठिन था, प्रारंभ में वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थीं। दो-तीन दिन वे उनके साथ खेल खेलते रहे, ड्राइंग बनाई, डांस किया, गाने सुने, उनको अपना दोस्त बनाया, फिर उनको बताया कि अधीक्षक, वार्डन तथा दोनों सहायिका इस समय जेल में हैं और उनकी बहुत पिटाई हो रही है। तब वे कुछ हँसी और फिर उन्होंने पूछा कि क्या वे जेल से छुट जायेंगे। हमने बताया कि वो अब जेल से नहीं छुटेंगे, तब उन्होंने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बात की।
- ❖ दुष्कर्म पीड़िताओं ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी सहायिका कल्पना ठाकरे को दुष्कर्म के बारे में बताया था, साथ ही दुष्कर्म उपरांत उनको होने वाले शारीरिक कष्ट के बारे में भी बताती थी। कल्पना ठाकरे पीड़िताओं को ओ.आर.एस. के साथ कोई घोल बनाकर पीने के लिए देती थीं तथा एक ट्यूब लोकल इस्टेमाल के लिए भी देती थीं।
- ❖ दुष्कर्म छात्राओं के साथ अधीक्षक के कमरे, बाथरूम, टॉयलेट तथा छात्राओं के सोने के स्थान पर किया जाता था।
- ❖ पीड़ित छात्राएं यह बताने में असमर्थ हैं कि किस दिनांक को उनके साथ दुष्कर्म हुआ। वे बस इतना बताती हैं, शिवरात्रि से पहले, गुड़ी पड़वा के बाद, दशहरे के पहले आदि।
- ❖ दोनों सदस्यों ने यह भी बताया कि विगत दो वर्षों से भिरुडकर सहायक अधीक्षक के आने के बाद यह कार्य अधिक होने लगा था।
- ❖ दोनों सदस्यों ने बताया कि दुष्कर्म पीड़ित छात्राओं की माताओं को समझाना भी बहुत कठिन रहा। वे इस बात को मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थीं कि उनकी नाबालिग पुत्रियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। कुछ मातायें सहयोग नहीं कर रहीं थीं, उन्हे यह भी भय था कि उनकी पुत्रियों के साथ हुये इस दुष्कर्म के कारण समाज में उनकी बदनामी होगी और भविष्य में उनकी पुत्रियों के साथ विवाह सम्बंध करने में भी परेशानी होगी। अस्पताल में भर्ती दो लड़कियों में से एक की माँ ने तो यहा तक कहा कि “मेरी बेटी का जो चला गया है, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो।” किन्तु बाद में उन्हे समझाने पर वे सहयोग के लिए तैयार हो गईं।

7. आयोग ने सेल्फ डिफेन्स हेतु छात्र-छात्राओं को जुड़ो कराटे सिखाने के लिए पशिक्षक सखने की आवश्यकता बताई। छात्राओं को विशेषकर स्कूल के पश्चात संध्या काल में हॉस्टल/बोर्डिंग स्कूल में ही सेल्फ डिफेन्स का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाये। (कार्रवाई: कलेक्टर, चन्द्रपुर)
8. सहायक प्रकल्प अधिकारी, कार्यालय अपर आयुक्त आदिवासी विकास, नागपुर के कार्यालय द्वारा मार्च 2019 के अन्त में एक रिपोर्ट दी गई है। जिसके सभी बिन्दु अनुशंसा करते हैं कि इस नामांकित विद्यालय तथा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल का अनुदान जारी रखा जाये। यदि यह रिपोर्ट लेने वाले अधिकारी जागरूक तथा नैतिक जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट देते तो घटना से पूर्व ही प्रशासन को बताया जा सकता था। अतः रिपोर्ट देने वाले सहायक प्रकल्प अधिकारी, कार्यालय अपर आयुक्त आदिवासी विकास, नागपुर पर भी कार्यवाही कर उन्हे निलंबित एवं अन्य अनुसूचित जनजाति बहुल जिले में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। (कार्रवाई: प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)
9. आयोग ने कलेक्टर को कहा कि पीडिताओं को अभी तक सहायता राशि नहीं दी गई है। कलेक्टर महोदय ने बताया कि जिले में सहायता राशि के अभाव के कारण यह राशि का वितरण अभी तक नहीं हो पाया है। शीघ्र ही आयोग को राशि वितरण की सूचना दी जायेगी। (कार्रवाई: कलेक्टर, चन्द्रपुर)
10. आयोग ने कलेक्टर चन्द्रपुर को कहा कि पीडित छात्राओं के अभिभावकों को राज्य स्तरीय योजनाओं का लाभ दिया जाये क्योंकि सभी छात्राओं के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हे घरकुल योजना, स्वाभीमान योजना तथा महाराष्ट्र शासन की रोजगार योजना का लाभ दिया जाये। (कार्रवाई: कलेक्टर, चन्द्रपुर)
11. आयोग ने यह भी कहा कि पीडित छात्राओं की पढाई पूर्ण होने तक उन्हे विशेष संरक्षण में रखा जाये तथा यह आश्वासन दिया जाये कि उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर उन्हे शासकीय नौकरी प्रदान की जायेगी। (कार्रवाई: कलेक्टर, चन्द्रपुर)
12. प्रकल्प अधिकारी चन्द्रपुर द्वारा घटना से सम्बंधित सभी दस्तावेज आयोग के जॉच दल को मीटिंग के दौरान ही दिए गए जबकी आयोग का जॉच दल 6 घंटे पूर्व चन्द्रपुर पहुच गया था। उनके द्वारा बार-बार मागने पर भी पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। यह संशय का विषय है। (कार्रवाई: कलेक्टर, चन्द्रपुर)

अनुशासनहीनता एवं लापरवाही से आश्रम शालाओं तथा नामांकित शाला को ना चलाते हुए नियमानुसार अपनी सेवाएं आश्रम शाला तथा नामांकित शाला को दे। (कार्यवाई: प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)

10. सभी आश्रम शालाओं एवं नामांकित शालाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरा अवश्य लगवाये जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उनकी उनकी रिकॉर्डिंग का संग्रह सुचारूरूप से हो। (कार्यवाई: प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)
11. वर्तमान में प्रकरण की जाँच सी.आई.डी. द्वारा की जा रही है। आयोग यह अनुशंसा करता है कि सी.आई.डी. की जाँच शीघ्रता से पूर्ण हो तथा प्रकरण को न्यायालय के समक्ष रखा जाये। (कार्यवाई: पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र शासन, पुलिस महानिदेशक, नागपुर संभाग)
12. जिला चन्द्रपुर की यह घटना पूरे देश को उद्देलित करने की घटना है। इस असामाजिक, धृष्टिगत, असंवेदनशील घटना के पश्चात् महाराष्ट्र शासन, जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई तथा कार्यवाही करने में भी विलम्ब किया गया। यह उनके कार्य में उदासीनता दर्शाता है तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। ऐसा अनुभव होता है कि इस घटना में अन्य अपराधी भी समिलित हैं जिन्हे प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों की मासूम छोटी-छोटी बालिकाएं धृष्टिगत मानसिकता की शिकार हुई हैं। अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये आयोग यह अनुशंसा करता है कि प्रकरण पर आयोग स्तर पर एक जाँच समिति गठित की जाये जो इस प्रकरण की सूक्ष्मता से विस्तृत जाँच कर अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे। (कार्यवाई: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)



मा. श्रीमती माया चिंतामन इवनाते

सदस्या,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली